उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–49/2017–18
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो
बनाम्
SHANKAR SUPPLIERS

–: आदेश :–

21.08.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा धारा 14 (**1 and 2**) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत SHANKAR SUPPLIERS प्रो0 श्री मनीष कुमार तिवारी पिता अर्जुन कुमार तिवारी, क्वा0सं0–1045, सेक्टर–12/सी0, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षो को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Equitable Mortgage of land/building bearing Deed no. 2687 dated 17.04.2015 bearing Khata no. 41 Plot no. 456 Mouza Tetuliya, Thana no. 38 covering land 20 Decimal and structures thereon situated at at Bari Co-Operative, Bokaro standing in the name of Mr. Manish Kumar Tiwari.) को गिरवी रखते हुए 39,95,000.00 (उनचालीस लाख पनचानबे हजार) रूपये का बैंक से ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–30.06.2016 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया।

विपक्षी अनुपस्थित। नोटिस तामिलकर्त्ता द्वारा सूचित किया गया है कि विपक्षी संबंधित पते पर नहीं रहते है, फलस्वरूप नोटिस तामिला नहीं किया जा

सका। यहाँ तक कि स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से भी विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया, उसके बाद भी वह सुनवाई के दौरान न्यायालय में अनुपस्थित रहे है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें ।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	24.08.18 उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.28 17:19:22 +05:30
Location: 192.168.1.103